**कमान में परिवर्तन के अनुमोदन के लिए चेकलिस्ट**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| क्रमांक। | आवश्यक दस्तावेज़ | टिप्पणी | |
| हाँ | नहीं |
| 1 | आवेदन विधिवत भरा हुआ। |  |  |
| 2 | फीस रु . 250/ - भारत कोष भुगतान रसीद. |  |  |
| 3 | कमान परिवर्तन के संबंध में आधिकारिक लॉग बुक प्रविष्टि की प्रतिलिपि |  |  |
| 4 | आने वाले मास्टर और जाने वाले मास्टर के लिए योग्यता प्रमाण पत्र की प्रति |  |  |
| 5 | i ) विश्वव्यापी व्यापार क्षेत्र - एमएमडी द्वारा जारी कमान परिवर्तन के पिछले अनुमोदन की प्रतिलिपि।  ii) व्यापार क्षेत्र तटीय/एनसीवी/ बंदरगाह आदि - कमान परिवर्तन के अंतिम आवेदन के अनुमोदन के संबंध में एमएमडी से प्राप्त पुष्टिकरण ईमेल की प्रतिलिपि। |  |  |

टिप्पणी:

**विश्वव्यापी** व्यापार क्षेत्र के लिए - आवेदन सौंपने/अधिग्रहण की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा (हस्तांतरण/अधिग्रहण की तिथि से प्रथम दिन रु.1000/- + शेष दिन रजिस्ट्रार को आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक प्रतिदिन रु.50/- + कमान के प्रत्येक परिवर्तन के लिए रु . 250/-)

2) व्यापार क्षेत्र **तटीय/एनसीवी/ बंदरगाह आदि** - आवेदन डीजी शिपिंग आदेश संख्या 02/2016 दिनांक 23.02.2016 के अनुसार सौंपने/अधिग्रहण करने की तिथि से 72 घंटों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है, ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा (सौंपने/अधिग्रहण करने की तिथि से पहले दिन 1000/- रुपये + रजिस्ट्रार को आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक शेष दिनों के लिए 50/- रुपये प्रतिदिन + कमान के प्रत्येक परिवर्तन के लिए 250/- रुपये) ।

3) आवेदन पत्र केवल सॉफ्ट कॉपी में एकल पीडीएफ फाइल में ईमेल आईडी [regn.mum-mmd@gov.in पर](mailto:regn.mum-mmd@gov.in) जमा किए जाने चाहिए ।